

कभी वह देखती है कि विकास कार्य में बाधा आ रही है, वह कुछ आवश्यक उपबंध बना कर हस्तक्षेप करती है ।

बहुत से सदस्यों ने तेल शोध कारखानों के साथ हुए, हमारे सौदे की आलोचना की है । किन्तु सामाजिक महत्व के पदार्थ की प्राप्ति मुद्रा विनियम और व्यक्तियों को काम मिलने की दृष्टि से हमें यही सर्वोत्तम मार्ग दिखाई दिया था ।

कुछ सदस्यों ने भारतीयकरण के पहलू पर भी जोर दिया है तथा सभी इस बात को जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में क्या कदम उठा रही है । हाल ही में जो इस्पात करार हुआ है उसमें भी पर्याप्त परिव्राण हैं ।

हम किसी भी देश का इतिहास देखें तो हमें ज्ञात होगा कि वे देश केवल अपने संसाधनों से ही विकसित नहीं हुए हैं प्रत्युत उन्होंने दूसरे देशों से भी पर्याप्त सहायता ली है । हम किसी से सहायता अथवा ऋण ले कर उस के दास नहीं बन जायेंगे । निस्सन्देह विदेशी सहायता का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है उसमें प्राप्ति की लालसा नहीं होनी चाहिये । अ विकसित देशों के लिये एक संगठित सहायता होनी चाहिये । ऋण लेने के कारण हमें अपनी स्वतन्त्रता तथा स्थायित्व के सम्बन्ध में भयभीत नहीं होना चाहिये ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, अपनी ओर से तथा अपनी सरकार की ओर से मैं यह कहना चाहूंगा कि हम ने इस चर्चा का स्वागत किया है । मुझे आशा है कि ऐसी चर्चाएँ संसद् में समय-समय पर हुआ करेंगी क्योंकि ऐसी चर्चा में केवल आवश्यक ही नहीं हैं, प्रत्युत सरकार के लिये भी सहायक हैं । इन से देश की सामाजिक जाग्रति प्रदर्शित होती है ।

यह हमारे विशुद्ध राजनैतिक स्तर से सामाजिक स्तर पर तेजी से बढ़ने के चिह्न हैं । इसलिये मैं इन आलोचनाओं का स्वागत करता हूँ । यद्यपि मैं यह सुन कर दुःख रह गया कि कुछ आलोचनाओं का तथ्य से कोई भी सम्बन्ध नहीं था ।

विरोधी पक्ष के एक मुख्य सदस्य, श्री मेघनाद साहा, जो पहिले एक बड़े वैज्ञानिक थे, किन्तु जिन्हें अपने क्षेत्र से भटकने पर अभी कोई आधार-शिला नहीं मिली है, ने कई बातें बतलाईं जिन में से अधिकांश गलत थीं । मैंने किसी समस्या पर ऐसा अवैज्ञानिक दृष्टिकोण कदाचित ही कभी देखा । मुझे बड़ा दुःख है कि ऐसा प्रसिद्ध वैज्ञानिक इतने गलत तरीके से विचार करने लगा है :

मुझे प्रोफ़ेसर साहा अथवा इस सभा के किसी भी सदस्य की, जो हमारी सरकार की आलोचना करते हैं, चिन्ता नहीं है । निस्सन्देह कई बातों पर हमारी आलोचना हो सकती है और उस की हमें चिन्ता नहीं है । किन्तु श्रीमान् मैं उन आलोचनाओं की चिन्ता करता हूँ जो भारतीय जनता की आलोचना के समकक्ष हैं । यदि इस सभा अथवा बाहर का कोई व्यक्ति यह आरोप लगाता है कि पिछले छः वर्षों में भारतीय जनता ने क्या किया । मेरे विचार से हमारा, यहां तक कि बाहर के लोगों का भी, ऐसा कहना नितान्त अनुचित है; क्योंकि उन बड़ी समस्याओं के होते हुए भी जिनका हमें सामना करना पड़ा तथा सरकार की कमियों एवं गलतियों के बावजूद भी भारतीय जनता ने छः वर्ष के दौरान अच्छा कार्य किया है । यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि मैं भारतीय जनता में बड़ी संख्या वाले सभी वर्गों, बुद्धि जीवियों कृषकों, श्रमिकों तथा अन्य लोगों को सम्मिलित करता हूँ । उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है जिस के लिये मुझे गर्व है तथा मैं विश्व में

[श्री जवाहार लाल नेहरू]

कहीं भी इस बात को पुकार कर कह सकता हूँ ।

यह सारी कटु आलोचना, यद्यपि मैं इस का विरोध नहीं करता हूँ, समस्या के संतुलित दृष्टिकोण पर आधारित नहीं थी किसी बात की आलोचना तथा किन्हीं अन्य अच्छी बातों की स्वीकृति तो समझ में आ सकती है । किन्तु केवल आलोचना तथा बहिष्कार समझ में नहीं आता । मेरे विरोधी सहयोगी किसी बात पर भी 'हां' कहना अथवा प्रशंसा करना भूल गये हैं । यह सभा के इस ओर हो, अथवा उस ओर मैं कहता हूँ कि ऐसा रवैया नितान्त असंतुलित अवैज्ञानिक अन्यायपूर्ण तथा अहितकारी है ।

हम क्या चाहते हैं ? हम कुछ महान कार्य करना चाहते हैं, जिस से पुरातन रूढ़ियों, प्रथाओं तथा गली सड़ी अर्थ व्यवस्था में जकड़े हमारे देश का चित्र बदल जायें । यदि आप भारत की यात्रा करेंगे तो आप को विभिन्न प्रकार के लोग तथा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक विकासक्रम दिखाई देंगे, कभी कभी तो महान असमानतायें दिखाई पड़ेंगी । हम इसे पसन्द नहीं करते हैं । सभा में कोई भी इसे पसन्द नहीं करता है । हम इन असमानताओं तथा विभेदों का अन्तर करना चाहते हैं । हम जीवन-स्तर को उठाना तथा समाज को एक नई रूप रेखा में प्रस्तुत करना चाहते हैं । हो सकता है कि हमारी व्यवहारिक कार्य-पद्धति अथवा किसी पद में, हमारा मतैक्य न हो, किन्तु उस अन्तिम चित्र के लिये जो हमारे समझ है उस के लिये हमारे मत भिन्न होंगे इस में मुझे संदेह है । कुछ भी हो स्थिति का मूल्यांकन कर के हम प्रगति की एक योजना बना सकते हैं । हम केवल विद्यालयों की चर्चा के रूप में नहीं सोच सकते ।

यह एक कठिन समस्या है जो कि केवल संख्याओं के कारण ही नहीं बल्कि उलझनों के कारण भी कठिन है । लोग सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की बात करते हैं । क्या सभा यह बात समझती है कि भारत में सब से बड़ा और व्यापक निजी क्षेत्र किसानों का है ? देश का महान निजी क्षेत्र यही है, न कि ये कारखाने तथा अन्य चीजें । अब हम इसे बदलना चाहते हैं, किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि वांछनीय अनिवार्यता की एक सीमा होती है । अन्तनोगत्वा एक बड़े समाज में आप को सम्पूर्ण समुदाय की सहमति से चलना होता है । इस अनिवार्य पहलू के अलावा हम ने अपने राजनैतिक क्षेत्र में ऐसी नीति अपनाई है जो बड़ी विचित्र है । हम ने अपने राजनैतिक उपायों में शान्तिपूर्ण तरीकों का अवलंबन किया है । निस्सन्देह हमारे आर्थिक दृष्टिकोणों में विरोध है । आर्थिक क्षेत्र में कई वर्ग हैं तथा हम वर्गों को समाप्त कर देना चाहते हैं । हमारा दृष्टिकोण व्यक्तियों को ये सब बातें समझाता रहा है । हम इस देश में जागीरदारी करना चाहते हैं । हम ने उस का मूल्य चुकाया समाप्त यह स्मरण रखिये कि जो कुछ हम ते उस के लिये चुकाया वह संघर्ष के मूल्य की तुलना में तुच्छ था ।

आज कल लोग अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों में संघर्ष की बात सोचते हैं । वह चाहे युद्ध हो, विरोध हो या वर्ग संघर्ष हो । मैं वर्ग संघर्ष को मानता हूँ किन्तु मैं उसे बढ़ाना नहीं चाहता । मैं अपने हृदय को उस से चिन्तित नहीं करना चाहता । मैं बिना संघर्ष बढ़ाये हुए यथाशक्ति उस से छुटकारा चाहता हूँ । मैं मानता हूँ कि हमारे राजनैतिक तथा दूसरे दृष्टिकोणों का परिणाम अच्छा हुआ है । ये कई प्रकार से अच्छे हैं क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति के अलावा हम सहयोग

का वातावरण तथा पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। कुछ भी हो हम संघर्ष की कड़वाहट तो नहीं पैदा करते हम ने अन्य देशों की महान सामाजिक तथा राष्ट्रीय क्रान्तियों की घटनायें पढ़ी हैं और आज कल देख भी रहे हैं। हमारे मतों में अन्तर हो सकता है। तथा हम उस के कुछ अंश को पसन्द अथवा नापसन्द कर सकते हैं। किन्तु यह प्रश्न हमारे पसन्द करने का नहीं है। वे आंधियों के समान महान ऐतिहासिक क्रान्तियाँ हैं। मेरे या किसी अन्य सदस्य के यह कहने का कोई लाभ न होगा कि हम वैसी आंधी नहीं चाहते। यह होता रहता है तथा इस से देश के पहलू निर्मित होते रहते हैं। हमें अपने को इन पहलुओं के अनुरूप ढालना पड़ता है। व्यक्ति गलती करता है और फिर उस का उपचार कर लेता है।

मैं अपने देश की दूसरे देशों से अपने लाभ अथवा हानि की दृष्टि से तुलना करना नापसन्द करता हूँ क्योंकि मैं किसी देश की आलोचना नहीं करना चाहता। यद्यपि मैं उन की कुछ बातों को पसन्द अथवा नापसन्द करता हूँ तथा मैं उन की मित्रता चाहता हूँ किन्तु मैं सभा को यह बतलाना चाहता हूँ कि ये क्रान्तियाँ इतिहास, हिंसा, पराजय तथा गृह युद्ध की उपज हैं। ये अनुवर्ती घटनाओं का संचालन करती हैं। कोई किसी उद्देश्य से, जान बूझ कर किसी क्रान्ति अथवा विनाश को संगठित नहीं करता। यह और बात है कि वह किसी के मार्ग पर आ जाये तथा उसे संगठन उन का सामना करना पड़े। कुछ माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि प्रगति के लिये हमें विनाश करना चाहिये तथा संघर्ष तथा कड़वाहट बढ़ानी चाहिये तभी हमें ठीक मार्ग मिलेगा। हम इन सभी बातों से छुटकारा नहीं पा सकते जो व्यक्तियों के विकास तथा स्थिति को संचालित करती हैं। कोई भी व्यक्ति किसी उपयोगी वस्तु का विनाश केवल इस कारण

से नहीं करेगा कि उस से एक ऐसी वस्तु निर्मित होगी जो कुछ अर्थों में अच्छी होगी। पिछले कुछ वर्षों में भारत में जो कुछ किया गया उस की तुलना में किसी भी देश की प्रगति से करने को प्रस्तुत हूँ। यह हो सकता है कि हम ने अधिक प्रगति नहीं की हो। मैं यह मानने को तैयार हूँ कि हम ने कम प्राप्त किया किन्तु इस के पृष्ठभूमि में शांतिपूर्ण सहयोग की पद्धति दिखाई पड़ेगी। तुम कह सकते हो कि सहयोग की इस पद्धति से भी तुम अधिक तेजी से जा सकते थे। हमें यह मान लेना चाहिये और इसी प्रकार प्रारम्भ कर के अपनी गति बढ़ानी चाहिये। सभा को यह स्पष्ट होना चाहिये कि हम शांतिपूर्ण सहयोग की तथा प्रजातन्त्रात्मक पद्धति को अपनायें अथवा किसी दूसरी पद्धति को स्वीकार करें। जब मैं प्रजातन्त्र शब्द का प्रयोग करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि इस के कई अर्थ हो सकते हैं, किन्तु मैं उस क्षेत्र में यह शब्द बोल रहा हूँ जिसे लोग संसदीय प्रजातन्त्र कहते हैं। दूसरी पद्धति भी इतनी ही प्रजातन्त्रात्मक हो सकती है। किन्तु वे भिन्न हैं। हमें इस दृष्टिकोण से इस पर विचार करना चाहिये। हमारे देश में संसदीय प्रजातन्त्र क्यों है? क्योंकि अनुमानतः हम यह सोचते हैं कि सुदूर भविष्य में इस के परिणाम सर्वोत्तम रहते हैं। यदि हम इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि इस के परिणाम सर्वोत्तम नहीं रहते तो हम इसे बदल सकते हैं। हमारे ध्येय में किस प्रकार के परिणाम हैं? राष्ट्रीय कल्याण, तथा अपनी करोड़ों जनता का सुख। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। जिन का विशिष्ट तात्पर्य हो। हम इस देश के व्यक्तियों का सुख चाहते हैं—राष्ट्रीय कल्याण तथा राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। हम इसे किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? इस समय हमारा देश औद्योगिक रूप से अविकसित है, यद्यपि वह जापान को छोड़ कर एशियाई देशों में सब से अधिक

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

विकसित है। मैं रूस का भाग नहीं ले रहा हूँ। इन दोनों अपवादों को छोड़ कर भारत एशिया के किसी भी देश से औद्योगिक दृष्टि से अधिक विकसित है, निस्सन्देह चीन से भी अधिक। भविष्य में क्या होगा यह दूसरी बात है। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। कुछ भी हो हमारा एक अविकसित देश है। हमारा जीवन-स्तर नीचे है। हमें उसे उठाना है तथा उस के उठाने में हमें अपनी सारी जनता के लिये काम ढूँढना है।

हमारे उद्देश्य क्या हैं? हम उन की कई प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं, परन्तु एक ढंग जो अन्य ढंगों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, यह है कि जब तक हम उत्पादन वृद्धि आदि द्वारा पूरा काम-धन्धा प्राप्त करें तब तक हमें प्रयोगात्मक रूप में अपेक्षाकृत और भी पूरे काम-धन्धे जुटाते रहें। आप उत्पादन वृद्धि, उत्तम वितरण का भी उल्लेख कर सकते हैं। हम वह सब कह सकते हैं और वे सारी बातें इसी मुख्य उद्देश्य का अंग हैं। मुझे आशा है कि यह अनिवार्य है कि इस समस्या पर अधिक काम-धन्धा जुटाने और उत्पादन में वृद्धि तथा उत्तम वितरण करने की दृष्टि से विचार किया जायगा।

यदि हमारा दृष्टिकोण यह है तो हमें इस जटिल परिस्थिति में जिस में हम हैं, यह सब कैसे करना है, जब कि अर्थ-व्यवस्था अल्प-विकसित है, जब कि और विनिमय के लिये बहुत ही थोड़ा अतिरेक है, आदि? हम अपनी समस्याओं की तुलना उद्योगीकृत पश्चिम की समस्याओं से नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें उन्नति के लिये अनेकों शताब्दियां या कम-से-कम, कई पीढ़ियां मिली हैं। हम सोवियत रूस से भी तुलना नहीं कर सकते। कुछ मामलों में हम उन से सीख सकते हैं। वहाँ युद्ध, गृह युद्ध से परिस्थितियां पूर्णतया भिन्न थीं। निश्चय ही मैं सात वर्ष की स्वतन्त्रता

के पश्चात् रूस की स्थिति से भारत की तुलना करने को तैयार हूँ, परन्तु उन की ३० या ४० वर्ष की स्वतन्त्रता के पश्चात् नहीं : एकमात्र देश, जो हमारे देश के तुल्य है, चीन है। यह इस अर्थ में तुल्य है कि उस की जनसंख्या बहुत है, काम-धन्धा न होता तो अत्याधिक है, स्तर नीचे का है, अल्प विकसित है, और उद्योगीकृत नहीं है। वह एक तुल्य मामला है। अतः सम्भवतः यह विचारयोग्य है कि जैसे वे अपने ढंगों से अपनी प्रगति करते हैं, हम उन से कुछ सीख सकते हैं। परन्तु पुनः चीन की पृष्ठभूमि को लीजिये। उन्होंने अपनी आज की स्थिति वहाँ से बड़ दूर प्राप्त की है जहाँ वे ४० वर्ष के ह-युद्ध, अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध, राष्ट्रीय युद्ध के पश्चात् वे चौपट हो गये थे। सौभाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश, हमें—हमारे लिये सौभाग्यवश, जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, और सम्भवतः विपक्षी माननीय सदस्य इसे दुर्भाग्य समझें— इस देश में सत्ता शान्तिपूर्ण रूप में हस्तान्तरित हो गई थी और हमें उस की चालू व्यवस्था मिली। चालू व्यवस्था के गुण व अवगुण होते हैं। मैं गुणों को प्रधानता देता हूँ। अवगुण यह हो सकता है कि आप कुछ ऐसी प्रक्रियाओं से बद्ध हैं जिन में परिवर्तन करने में कुछ समय लगता है। गुण प्रत्यक्ष हैं, आप विनाश कर के अव्यवस्थित परिस्थिति से आरम्भ नहीं करते, परन्तु हम ने एशिया के अधिकतर देशों की अपेक्षा उच्चतम मान पर देश में काम आरम्भ किया था, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। मुझे तुलना पसन्द नहीं है। तुलनायें भद्दी हुआ करती हैं। परन्तु इतने पर भी मैं सभा से निवेदन करता हूँ कि वह भारत की आज की राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक स्थितियों पर एशिया के किसी भी देश की स्थितियों के साथ विचार करे। पुनः एक शरण के लिये मैं चीन को छोड़ता हूँ, क्योंकि बहुत से मामलों में चीन के प्रति

भिन्न व्यवहार की आवश्यकता है। यद्यपि आज कल भारत में उत्तम परिस्थिति है, अर्थात् औद्योगिक तथा साधारण परिस्थितियां, परन्तु मेरा ख्याल है कि यहां के स्तर चीन की अपेक्षा उत्तम हैं, तो इस का अभिप्राय यह नहीं है कि चीन अधिक उन्नति नहीं कर सकता। वह भिन्न बात है। पश्चिम के इन सारे देशों की दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों से तुलना करना भिन्न बात है। हम ने इस देश में जो स्थिरता—राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक—प्राप्त की हैं और हम जो प्रगति कर रहे हैं उस की अन्य देशों के साथ क्या कोई तुलना है? हो सकता है कि इस की गति हमारे विचारानुसार मंद हो, परन्तु हम ने जो कुछ किया है वह निस्सन्देह प्रगतिपूर्ण है। विशाल संसार में भारत के बारे में जो धारणा बनाई गई है, वह निस्सन्देह है।

यह एक असाधारण बात है कि हमारे अधिकतर आलोचक, कुछ हमारे देशवासी ही हैं, या—उन्हें उसी कोटि में रखना बुरी बात है—पश्चिम के कुछ अत्यन्त प्रतिक्रियावादी दलों के, जो भारत की प्रगति को पसंद नहीं करते, सदस्य हैं। परन्तु मैं इस सभा से इस ओर ध्यान देने के लिये निवेदन करता हूँ कि हमारी पर्याप्त आलोचना ही, किन्तु हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिये कि इस मामले में यदि भारत आगे बढ़ रहा है, तो इस का कारण यह नहीं है कि भारत सरकार बहुत अच्छी है—इसमें सन्देह नहीं कि यदि ऐसा हो तो इस से सहायता मिलती है—अपितु इस का कारण यह है कि भारत के लोग कार्य करते हैं। हमारे लिये यह उचित नहीं है कि हम सदैव ही उस की निन्दा करते रहें जो भारत के लोग कर रहे हैं। हम किसी बात को बड़े रूप में लेते हैं। सामूहिक योजनाओं या राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं को लीजिये। मेरा विचार है कि यह

उन सब से बड़ी बातों में से एक है जो किसी देश की हैं, और मैं यह समझता हूँ—मैं यहन ही कहता कि यह शत प्रति शत सफल हो गया है—परन्तु यह अधिकतर सफल हो रही है। यह आश्चर्यजनक बात है कि हम ने कितनी साधारण स्थिति से यह काम आरम्भ किया; हम ने देश-वासियों पर ऊपर से कुछ भी नहीं लादा जैसा कि साधारणतया सरकारों ने किया है।

विरोधी पक्ष की ओर से हमारे बहुत से मित्रों की क्या प्रतिक्रिया हुई है? वे केवल इस की निन्दा ही नहीं करते अपितु इस में सहयोग देने से मना करते हैं। यह कोई सरकारी प्रयास नहीं है, यह लोगों का प्रयास है। वे अलग रहते हैं, वे दूसरों को अलग रखते हैं। वास्तविकता यह है कि वे उस प्रगति में बाधा डालते हैं, जो वहां की जा सकती है। मैं माननीय सदस्यों को मुझाव देना चाहता हूँ कि क्या राष्ट्र के महान प्रश्नों पर विचार करने का यही ढंग है? अतः मेरा निवेदन है कि किसी सरकार की नीति या किसी बात की तथा उस ढंग की, जिस प्रकार हमारा महान देश और हमारे ये महान व्यक्ति आज कार्य कर रहे हैं और नव भारत बना रहे हैं, आलोचना में कुछ भेद किया जा सकता है, परन्तु हमें ऐसी आलोचना का सदैव स्वागत करना चाहिये। मुझे इस में कोई सन्देह नहीं कि वह इस का निर्माण कर रहे हैं। मैं सर्वत्र देखता हूँ और मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि आज हमारे भारत का वातावरण हमें जीवन तथा बल प्रदान कर रहा है।

प्रोफ़ेसर मेघनाद साहा ने कहा था कि वित्त मंत्री ने हमारी औद्योगिक तथा अन्य प्रगति के बारे में जो आंकड़े दिये हैं वे पूर्णतया अशुद्ध हैं। थोड़े से समय में इन विस्तृत आंकड़ों पर विचार करना मेरे लिये असम्भव

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि उन से से अधिकतर योजना आयोग के प्रतिवेदन तथा अन्य पत्रों में अंकित हैं। परन्तु वास्तव में मझे इस बात पर आश्चर्य है कि प्रोफ़ेसर साह्रा इन शुद्ध आंकड़ों को गलत बताते हैं। उन्होंने ने अधिक उत्पादन के सम्पूर्ण प्रश्नको ही चुनौती दी है।

औद्योगिक उत्पादन के देशनांक (१९४६ में १०० थे) १९५० में १०५ थे और बढ़ कर १९५१ में ११७, १९५२ में १२९ और १९५३ में १३५ हो गये थे। इस वर्ष जुलाई में ये १४९ थे। १०५ से १४९ होना बहुत बड़ी प्रगति है। श्री मेहता ने इन की विषमता के बारे में कहा था। सम्भव है कि ये भली प्रकार विषम हों। परन्तु हमें विषमता दूर करनी चाहिये। फिर यह भी सत्य है कि यदि इन्हें अपनी आवश्यकताओं और कर्तव्य की दृष्टि में देखा जाय तो यह पर्याप्त नहीं है। हम यह स्वीकार करते हैं। परन्तु तथ्य यह है कि औद्योगिक उत्पादन में ध्यानाकर्षक वृद्धि हुई है। वह वृद्धि चाहे बस्त्र के उत्पादन में २५ प्रतिशत हुई है या सीमेंट में ५० प्रतिशत। सिंदरी का कारखाना क्षमता के उत्पादन तक पहुँच चुका है, और हम अब एक या दो और सिंदरी के जैसे कारखाने खोलने वाले हैं। विद्युत, शक्ति और बहुत सी अन्य बातों में वृद्धि हुई है। मैं वास्तव में इस बात से सहमत हूँ कि सरकार या किसी अन्य के सन्तुष्ट होने का कोई प्रश्न नहीं है। समस्या गम्भीर है। मैं केवल यह कह सकता हूँ कि बात यह नहीं है कि हम सन्तुष्ट हैं, परन्तु यह है कि हम इस समस्या से भयभीत नहीं हुए हैं। चाहे यह कितनी ही कठिन हो, हम इस का मुकाबला करेंगे और इसका समाधान करेंगे। हम ही नहीं, इस समय में सब व्यक्तियों और देश के लिये कह रहा हूँ, क्योंकि तनिक सी डील, मन्त्रोष की तनिक सी भावना हमारे

मार्ग का रोड़ा बन जायेगी, और हमें घोर परिश्रम व विचार करना पड़ेगा—मैं कहता हूँ कि गम्भीरता से इस पर विचारिये। आप इस का समाधान कैसे करते हैं? आप को भारत जैसे विशाल देश में ये महान सामाजिक समस्यायें दिखाई देती हैं, हम वर्गों की चर्चा करते हैं, परन्तु भारत में वर्गों की अपेक्षा कुछ अत्यन्त निकृष्ट बातें विद्यमान हैं; अर्थात् जातियाँ, जातियों ने इसे सुदृढ़ बना दिया है। इस ओर या उस ओर से कोई भी व्यक्ति इस बात से मना कर सकता है कि इस देश में यह एक अभिशाप है, यह जातीयता, जो मार्ग में रोड़ा अटकाती है, अवश्य ही किसी भी प्रकार की प्रगति के मार्ग में, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक, आर्थिक हो, रोड़ा बनेगी? आप को परिस्थिति का समाधान करना है। अपने मार्ग में आने वाली जातीयता का मुकाबला करना है। हम यह कैसे करेंगे? यहां किसी संकल्प द्वारा नहीं, हम किसी संकल्प या किसी विधि द्वारा भारत का जातीय ढांचा नहीं बदलेंगे। हम अस्पृश्यता के नियम बना कर सहायता कर सकते हैं, वे उत्तम हैं, उन से मन परिवर्तन करने में सहायता मिलती है। मेरा अभिप्राय यह है कि आप भारत के इस विशाल ताने को, दूसरी जाति तथा वर्गों को अत्याधिक वर्गों को, प्रान्तीयता आदि को, जादू द्वारा नहीं बदल सकते।

हां, यदि आप केवल आर्थिक आधार पर विचार करें—निश्चय ही, आप ऐसा नहीं कर सकते, परन्तु मान लीजिये कि हम आर्थिक आधार पर विचार करते हैं, उत्पादन सन्तुलित उत्पादन, रोजगार के प्रश्न पर—तो हमें इस पर कैसे आगे बढ़ना है? लोग सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों की चर्चा करते हैं, और चर्चा आदि करबे के लिये वह काफी महत्वपूर्ण भी है। परन्तु

सरकारी या गैर सरकारी या दोनों क्षेत्रों के बारे में चर्चा करने से प्रश्न का समाधान नहीं होता है। अन्ततोगत्वा, समस्या के अनेकों अंग हो सकते हैं और हमें प्रगति करनी है। कुछ बात शेष है, और जब तक आप आज से एक कार्यवाही के परिणामों का विचार नहीं करते और दूसरी कार्यवाही करने को तैयार नहीं होते, तब तक अभाव ब रुकावटें रहेंगी। अतः इन समस्याओं पर विचार करना आवश्यक हो जाता है, शाब्दिक रूप में नहीं, अपितु वैज्ञानिक रूप में—प्रोफेसर साहा की भान्ति नहीं, अपितु मैं कहता हूँ कि एक वैज्ञानिक की दृष्टि से।

श्री एस० एस मोरे (शोलापुर) : आप का विज्ञान क्या है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरा विज्ञान, यदि मैं यह कह सकूँ, निश्चय ही सामाजिक सांख्यिकी पर आधारित है। यह ऐच्छिक विचारों पर नहीं—उद्देश्य की दृष्टि से ऐच्छिक विचारधारा के अतिरिक्त—अपितु अनिवार्य रूप से सामाजिक सांख्यिकी पर आधारित है? हम कैसे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम कैसे सन्तुलित अर्थ-व्यवस्था, बड़े बड़े उद्योग, माध्यम उद्योग, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग बढ़ा सकते हैं। हम थोड़े समय से रोजगार कैसे दे सकते हैं। हम देश में साधारण रूप से मानवीय प्रसन्नता में और राष्ट्रीय शक्ति में कैसे वृद्धि कर सकते हैं।

यह पूर्णतया सम्भव है और मेरा विचार है कि श्री मेहता का यह कहना सर्वथा सत्य था कि देश में एक विषम विकास हुआ है। ऐसा ही हुआ है, और यदि मैं यह कह सकूँ तो प्रायः अन्य देशों में भी विषम विकास हुआ है, यहां तक कि योजना की परीक्षा करने में भी ऐसा ही हुआ है।

मेरा विचार है कि यह देश—मैं इस की किसी अन्य देश से तुलना नहीं कर रहा

हूँ—परन्तु इस देश की पृष्ठभूमि को लेते हुये, ये सारी पृथक्कृत पृष्ठभूमियां, वर्ग तथा जाति आदि, और प्रान्तीयता मेरा विचार है कि इस ने अपने योजना आयोग द्वारा लोगों को समस्या का बोध कराने में बहुत अच्छा कार्य किया है। यह बड़ा आवश्यक है कि लोग साधारण रूप में समस्या की जटिलता से भिन्न हों और समूचे रूप में भारत के लिये योजना के रूप में विचार करना आरम्भ करें। उन्होंने ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं किन्हीं व्यक्ति विशेषों का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, अपितु साधारण रूप में आप से कह रहा हूँ। सभा को स्मरण होना कि हम ने तीन या चार वर्ष पूर्व योजना बनानी आरम्भ की थी, और उस समय हमारे पास बहुत ही थोड़े आंकड़े थे। आंकड़ों के बिना योजना बनाना अत्यन्त कठिन है। संसद में या और कहीं कोई भी व्यक्ति यह संकल्प पारित कर सकता है कि लक्ष्य क्या है। शनैः शनैः हम ने आंकड़े एकत्रित कर लिये हैं। शनैः शनैः, हम ने राज्यों तथा राज्यों में लोगों को योजना-भिन्न बना दिया है। सारे समय में, इस देश में हमें खाद्य के अभाव की गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ा है। हम नें ठीक या गलत यह निश्चय किया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात कृषि मोर्चा है। यह ठीक है कि हम नदी घाटी योजनायें कार्यान्वित कर रहे हैं, हम ने सिंदरी तथा चितरंजन के कारखाने बबाये हैं और प्रत्येक प्रकार के अन्य कार्य किये हैं। परन्तु, निश्चय ही, हम ने कहा था कि खाद्याभाव एक बड़ी समस्या है और हम ने उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया। इस बारे में मतभेद हो सकता है कि हम ने बड़े बड़े उद्योगों के बारे में कुछ किया है या नहीं। इस में भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं। परन्तु, हम ने ऐसा इसलिये किया था कि हम ने यह महसूस किया कि जब तक हमारी खाद्य स्थिति सुदृढ़ नहीं होती, तब तक हमारे औद्योगिक प्रयत्न यदि

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

असफल न भी हों तो भी कुंठित हो सकते हैं। जिन माननीय सदस्यों ने अन्य देशों के इतिहास का अध्ययन किया है, उन्हें कदाचित्त यह विदित है कि बड़े बड़े उद्योगों को अत्याधिक महत्व देने से उन समाजवादी तथा ऐसे ही देशों में कठिन समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। वास्तव में, शीघ्र उद्योगीकरण के लिये कुछ देशों ने जो लागत चुकाई है, उस में से हमें भयभीत होना पड़ता है।

मुझे इस बात में सन्देह है कि कोई भी देश जानबूझ कर इतना बड़ा मूल्य चुका सकता। जिन पर आ पड़ी उन्होंने ने दिया। मैं कह सकता हूँ कि संसदीय प्रजातन्त्र वाले देश में इतना पैसा लगाना संभव नहीं है। हो सकता है कि जिन देशों में अधिनायक तंत्र हैं वहाँ लोग इसे चुका सकें। किन्तु मुझे इस में भी सन्देह है क्योंकि कोई भी अधिनायक अपनी जनता की सम्मति के बिना इतना आगे नहीं बढ़ सकता। आप को इस पर विचार करना होगा। यह बिल्कुल निश्चित है कि वास्तविक प्रगति अन्त में औद्योगीकरण पर ही निर्भर होगी। और वह औद्योगीकरण अन्त में भारी उद्योगों पर निर्भर है। और चीजें भी जरूरी हैं किन्तु भारी उद्योग बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर हम अपने राष्ट्र की स्वतन्त्रता बनाये रखना चाहते हैं और अपने जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना चाहते हैं तो भारी उद्योग अत्यावश्यक है। अगर मैं खाली भारी उद्योगों की ही उन्नति चाहूँ और दूसरी बातों को छोड़ दूँ तो संभव है कि हमारी समस्याएँ और भी कठिन हो जायेंगी। हो सकता है कि बेरोजगारी बढ़ जाये। हमें भी उन्हीं समस्याओं का सामना करना है जिन का सामना चीन ने किया है। चीन के बारे में हमें बहुत सी बातें मालूम हुई हैं। वहाँ भी काफी मात्रा में बेरोजगारी है। वे इस का मुकाबला करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह समस्या हमारे सामने भी है। हमें

उच्च टैकनीक की आवश्यकता है और उस के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। किन्तु जैसे ही हम उच्च टैकनीक की बात सोचते हैं, इस का यह अर्थ निकलता है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ जायेगी। हम बेरोजगारी नहीं चाहते। हम तो अधिक से अधिक रोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं। वैज्ञानिकों की भी एक कठिनाई है। हमें उन तरीकों को संतुलित करना है। और उन पर काबू पाना है।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के सम्बन्ध में यह आपत्ति की गई थी कि औद्योगिक क्षेत्र में उन्हीं ने कोई लाभदायक काम नहीं किया है। मैं तो यह कहूँगा कि उन प्रयोगशालाओं में जो नवयुवक वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं उन से बढ़िया वैज्ञानिक भारतवर्ष में और नहीं है। अभी उस दिन अणुशक्ति के सिलसिले में एक छोटा सा सम्मेलन हुआ था जिस में वरिष्ठ तथा कनिष्ठ वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। उस सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कनिष्ठ वैज्ञानिक वरिष्ठ वैज्ञानिकों से आगे बढ़ गये हैं।

मैं आंकड़ों के बारे में कह रहा था। हम इन समस्याओं को आंकड़ों के आधार पर हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में सांख्यिकी शाला के वरिष्ठ सांख्यिकों की हम ने सहायता ली है। जिन माननीय सदस्यों ने कलकत्ता की सांख्यिकी शाला देखी है वे अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ वृहत स्तर पर किस प्रकार इतना अच्छा कार्य हो रहा है वहाँ हजारों नौजवानों को प्रशिक्षा मिल रही है। एक प्रकार से वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षा का केन्द्र बन गया है। मैं समझता हूँ कि बीस राष्ट्रों के नवयुवक वहाँ प्रशिक्षा ले रहे हैं। विदेशों से बहुत ही योग्य अभ्यापक वहाँ आये हैं। आजकल

वहां विभिन्न देशों, जैसे अमरीका, इंग्लैंड, फ्रांस, बेलजियम, नार्वे, सोवियत संघ, जापान आदि के विश्व ख्याति-प्राप्त विशेषज्ञ सांख्यिक जमा हुए हैं। और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि वहां सभी कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। जैसा कि मैं ने पहले भी कहा था, हमारी समस्या यह है कि आगामी १० वर्षों में हम किस प्रकार बेरोजगारी को समाप्त कर सकते हैं और चारों ओर अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं हमारे हां भारी उद्योगों और कुटीर उद्योगों में कितना धन लगाने की आवश्यकता है? इस समस्या का हल यथासंभव हमने आंकड़ों के आधार पर ही करने का निश्चय किया है। वित्त मंत्री ने भी इस बेरोजगारी को १० वर्षों में समाप्त करने के लिये कहा था। इसलिये यह स्पष्ट है कि बिना उद्योगों के हम यह कार्य नहीं कर सकते। कुटीर उद्योगों का विस्तार किये बिना हम यह कार्य नहीं कर सकते। इन दोनों उद्योगों में आपस में किसी विरोध की बात नहीं है। इतना उत्पादन करने के लिये दोनों का सन्तुलन करना होगा। इस के लिये बहुत पूंजी चाहिये। मैं इस समस्या को व्यवहारिक रूप से हल करना चाहता हूँ। हमें बहुत से काम करने हैं, कई चीजों का उत्पादन करना है, इसके लिये हमें कारखानों की आवश्यकता होगी और कारखानों के लिये हमें भारतवर्ष में ही मशीनें तैयार करनी होंगी। हमें इस दृष्टि से कार्य करना होगा कि पांच वर्ष बाद हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। और उस की योजना आज बनानी होगी। यह कहा गया है कि इस्पात उत्पादन की हमारी गति बड़ी धीमी है। मैं यह चाहता हूँ कि उत्पादन-गति धीमी है। हम और भी अधिक उत्पादन कर सकते थे किन्तु इस के बारे में कुछ दिन हुए तभी हमें आभास हुआ और अधिक उत्पादन करने का हम ने निश्चय किया। इस समय हमारा विचार दो-तीन संयंत्र लगाने का

है, और तीसरे संयंत्र के बारे में हम विचार कर रहे हैं। और इस प्रकार आगामी कुछ वर्षों में इस्पात उत्पादन को हम चार गुना बढ़ाना चाहते हैं। इन मामलों पर हम तभी काबू पा सकते हैं जब हम यह सोचें कि किस प्रकार अधिक से अधिक उत्पादन अधिक से अधिक रोजगार, तथा अधिक से अधिक त्रय शक्ति बढ़ायी जाय।

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं सरकारी क्षेत्रों को अधिक महत्व देता हूँ, और देश में समाजवादी प्रणाली पर आधारित समाज की स्थापना चाहता हूँ जो कि वर्गहीन और जाति हीन हो, और वह समाजवादी प्रणाली से ही स्थापित हो सकता है। और जहां तक कांग्रेस की बात है उस ने बहुत दिन हुए तभी से वर्गहीन और जातिहीन समाज की स्थापना करने का अपना उद्देश्य बना लिया है। किन्तु इस का यह मतलब नहीं है कि चूकि समाजवाद का अन्तिम उद्देश्य यह है कि सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो इसलिये सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राष्ट्रीयकरण धीरे धीरे हो। हमारा उद्देश्य तो अधिक उत्पादन और अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने का है। अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिस से उत्पादन की प्रगति हो सकती हो, जिस से अधिक व्यक्तियों का काम मिलने की प्रगति में बाधा पड़ती हो तो इस का अभिप्राय यह नहीं कि आप समाजवादी प्रणाली अपना रहे हैं। भारतवर्ष जैसे देश में जो अनेक प्रकार से अविकसित है, जहां रुपये की कमी है, जहां प्रशिक्षित व्यक्ति कम हैं, और जहां अनुभव भी नहीं है, हमें प्रशिक्षा अनुभव और धन का जो कुछ भी और जितना भी अपने देश में मिलता हो उस से लाभ उठाना चाहिये। हमें भारतवर्ष को समृद्ध बनाना है, लोगों

(श्री जवाहरलाल नेहरू की)

की सहकार्य की भावना से काम लेना है उन में से परस्पर विरोध की भावना को कम करना है। हमें उत्पादन और रोजगार के मामले में आगे बढ़ना है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। और उस तक पहुंचने के लिये हमारा यह कर्तव्य है कि हम ऐसा वातावरण पैदा करें और इस हेतु उन को प्रेरणा दें।

अब सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सम्बन्ध में, यह स्पष्ट है कि हमारे देश में राज्य के पास इतने सीमित साधन हैं कि इस समय हम जो कुछ करना चाहते हैं वह सब नहीं कर सकते हैं। हम यथासंभव अधिक से अधिक करने का प्रयत्न करेंगे। और सम्भव है कि हम बहुत कुछ कर भी सकें। किन्तु कुछ लोग सुझाव देते हैं कि उद्योगों के सम्बन्ध में निजी क्षेत्र को कार्य करने से अवश्य रोका जाना चाहिये। मैं यह नहीं समझ पाता हूँ। मैं भारत में समाजवादी समाज चाहता हूँ लेकिन केवल संकल्प पारित करने और नारे लगाने से वह प्राप्त नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि भारत अपनी विशाल जनसंख्या के साथ उस दिशा में आगे बढ़े। मैं शोषक समाज के उस ढांचे से बाहर निकलना चाहता हूँ।

यह स्पष्ट है कि जनता से सहमति मांगने का प्रश्न ही नहीं है और विशेषकर भूमि सम्बन्धी विधान बनाने के पूर्व हम ने जमींदारों से सहमति नहीं मांगी है। फिर भी हम ने यह विधान इस प्रकार नहीं बनाया है कि जमींदार कहीं के न रहें। हम ने भावी ढांचे में उन्हें समाविष्ट करने का प्रयत्न किया है। वास्तव में, माननीय सदस्य जानते हैं कि जमींदारों को विशेषतः उत्तर प्रदेश के जमींदारों को, भूमि सम्बन्धी विधान से बहुत अधिक हानि हुई है, किन्तु वह सामाजिक परिवर्तन का एक परिणाम है। उस के लिये कोई कुछ नहीं कर सकता है और उन में से अनेक इस

बात को समझते हैं और स्वीकार करते हैं। हम ने उन को शत्रु नहीं बनाया है। दूसरा... तरीका यह है कि हम दूसरे लोगों को आप का शत्रु बनायें और उन से मदद लेने के बजाय रुकावट मोल लें। मेरे विचार से यह किसी भी दृष्टि से गलत है।

किसी पूंजीपति से या और किसी से अनुज्ञा मांगने का प्रश्न ही नहीं है। हमारी यह नीति है और जो भी नीति हम निर्धारित करते हैं उसी पर दृढ़ रहते हैं और हम सदा अपने विरोधियों को जिन्हें उस नीति से हानि होती है, अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति पर कोई विजय नहीं पा सकता है किन्तु इस प्रकार हम सहयोग का एक वातावरण निर्माण करेंगे। कम से कम यही हम ने गांधी जी से सीखा है। अतः मुझे इस पर प्रसन्नता होगी। यदि हम इस बात को पूर्णतः स्पष्ट कर दें कि हमारा न्वा उद्देश्य है और समाज के समाजवादी ढंग से हमारा क्या तात्पर्य है। किन्तु यह स्पष्ट करने के बाद हम भाषा के चक्कर में ही न रह जायें और यह न सोचें कि हम वे कुछ कर लिया है। यह कहीं अधिक अच्छा है कि इन सब बातों में उलझने के बजाय हम अपने उद्देश्य पर विचार करें। हम पूरा रोजगार चाहते हैं, हम उद्योग चाहते हैं। समाज का समाजवादी ढंग प्राप्त करने के लिये हमें आर्थिक अथवा सामाजिक ढांचे को बदलना होगा। सामाजिक ढांचे में हम वे सभी चीजें जैसे जातिपात तथा अन्य बातें जो प्रगति में बाधा पहुंचती, हैं, जो पूर्ण विकास में रुकावट डालती हैं, सम्मिलित करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जनता की शक्ति काम में लायी जाय। यह सच है कि हिंसात्मक क्रान्ति में भी जनता की शक्ति लगायी जाती है किन्तु जब उस क्रान्ति का बहुत ऊंचा मूल्य भी हमें चुकाना पड़ता है और कम से कम एक या आधी पृष्ठत तक

हमें उस की भरपाई करनी पड़ती है पूंजीवादी ढांचे के आने पर पुराना सामन्तशाही ढांचा तोड़ दिया गया और अब हमें पूंजीवादी ढांचे से निकल कर समाजवादी दिशा की ओर आगे बढ़ना है। वास्तव में सारी दुनिया में यह क्रिया जारी है। किसी देश में कुछ व्यक्ति निजी उद्यम तथा धधेच्छाकारिता के बारे में बातें करते हैं किन्तु कोई उस में विश्वास नहीं करता है सभी जगह उद्योग आयात और निर्यात के सम्बन्ध में विनियमन और नियंत्रण है। उन देशों में भी जहां पूर्णतः विकसित पूंजीवादी व्यवस्था है, राज्य आज इस प्रकार कार्य करता है जिस की कल्पना पचास वर्ष पूर्व का समाजवादी भी नहीं कर सकता था। मैं यह नहीं कहता कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ें वरन् मैं तो यह कहता हूँ कि हम समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की ओर और तीव्र गति से आगे बढ़ें किन्तु वह प्रगति सन्तुलित प्रकार से हो। मैं इस में कोई हानि नहीं देखता हूँ वरन् बहुत लाभ देखता हूँ यदि निजी क्षेत्र भी कार्य करे।

मैं सभा को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि कृषक ही हमारा सब से बड़ा निजी क्षेत्र है और वह स्वभावतः रूढ़िवादी है। वह औद्योगिक कर्मचारी या अन्य किसी से कहीं अधिक रूढ़िवादी है। मैं भूमि समस्या की अभी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ किन्तु यह स्पष्ट है कि जमींदारी प्रथा के उठा देने से हम ने वह समस्या मुलज्ञा नहीं ली है। अभी अनेक कार्यवाहियां करनी हैं। यहां वही कृषि प्रधान अर्थ व्यवस्था है जो निजी क्षेत्र पर आधारित है। हम उसे धीरे धीरे ही बदलेंगे।

वित्त मंत्री ने ग्रामीण ऋण और ग्रामीण बैंकिंग के बारे में कुछ कहा था। मेरे विचार से इन ग्रामीणों की इतनी बड़ी शक्ति का उपयोग करना बहुत बड़ी बात होगी। इस विषय पर आप चर्चा कर सकते हैं और मुझे विश्वास

है कि विरोधी दल के माननीय सदस्य अनेक विचार प्रस्तुत करेंगे। जो सहायक भी हो सकते हैं। अतः हम में से प्रत्येक को समाज के समाजवादी ढंग के उद्देश्य को ध्यान में रख कर सोचना है। हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं और हमारा वास्तविक उद्देश्य अपनी सारी जनता को सुखी करना है। हम पूरा रोजगार और अधिक ऊंचे स्तर पर उत्पादन चाहते हैं। किन्तु वह सब शान्तिपूर्ण लोकतन्त्रात्मक ढंग से चाहते हैं। वही सर्वोत्तम मार्ग है क्योंकि उस में संघर्ष नहीं होता है और अन्त में कोई द्वेष या कड़वाहट भी नहीं रह जाती है जो राज्य तथा व्यक्ति दोनों के लिये ही हानिकारक है। राष्ट्र के अन्तर्गत हमें यथा संभव सह-कारिता के साथ आगे बढ़ना है।

वह किसी भी देश के लिये अच्छा हो सकता है किन्तु विशेषकर भारत के लिये यह अधिक आवश्यक है कि हम वही रास्ता अपनायें क्योंकि भारत में अनेक भेद भाव और विघटनकारी प्रवृत्तियां, चाहे वे प्रान्तीय, साम्प्रदायिक, धार्मिक और राज्य तथा जाति सम्बन्धी भेद भाव हों, वर्तमान है। हमें इस देश में अनेक बातों के विरुद्ध युद्ध करना है और यदि हम इस विस्तृत चित्र को दृष्टि से ओझल कर के केवल एक ही दिशा में बढ़ेंगे तो सारी बात उलट पुलट हो जायेगी।

इस विशाल दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि भारत जैसे अधिकसित देश में हम सरकारी क्षेत्र को बिना विस्तृत किये और अनेक महत्वपूर्ण बातों में निजी क्षेत्र पर बिना नियंत्रण रखे आगे उन्नति नहीं कर सकते हैं। मैं इस प्रश्न में नहीं जाता कि दोनों के बीच कहां रेखा खींची जाय किन्तु वह रेखा सदा परिवर्तनशील होगी क्योंकि सरकारी क्षेत्र का विकास होता रहेगा। अतः महत्वपूर्ण उद्योग और निजी क्षेत्र में महत्वपूर्ण विषयों का नियंत्रण अवश्य ही राज्य को करना होगा।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इतना कहने के बाद मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि श्री अशोक मेहता ने कल निजी क्षेत्र द्वारा अनुभव की जा रही परेशानी के बारे में कुछ कहा था। मैं उन से इस बात पर सहमत हूँ कि हमें निजी क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर नियंत्रण रखना चाहिये। किन्तु उन्हें उन महत्वपूर्ण नियंत्रणों के अन्तर्गत कार्य करने की पूरी स्वतन्त्रता दी जाये। उन्हें प्रोत्साहन न दे कर, उन का कार्य क्षेत्र संकुचित कर के उस से काम करने के लिये कहना बिल्कुल अर्थहीन सी बात है। हम उसे इसलिये रखना चाहते हैं कि वह उत्पादन और बढ़ायेगा। किन्तु यदि उस का क्षेत्र ही बन्द कर दिया जाय, उस को प्रोत्साहन न दिया जाये तो वह बिल्कुल असहाय और निरर्थक हो जायेगा। तब तो यही अच्छा होगा कि सारी चीज सरकारी क्षेत्र के अधीन ले ली जायें।

हमारी नीति निश्चय ही यथासंभव शीघ्र उत्पादन बढ़ाने और रोजगार बढ़ाने की है। उसे कार्यान्वित करने के लिये यह आवश्यक है। कि सरकारी क्षेत्र में यथासंभव शीघ्र वृद्धि हो। मेरे विचार से भारत में आज की परिस्थिति में यह आवश्यक है कि निजी क्षेत्र कतिपय विस्तृत महत्वपूर्ण नियंत्रणों के अन्तर्गत किन्तु स्वतन्त्रता, प्रोत्साहन और उन सीमाओं में कार्य करे। नियंत्रण इसलिये कि है हमें सरकारी क्षेत्र के बारे में भी सोचना है और निजी क्षेत्र योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है। यही महत्वपूर्ण नियंत्रण लगाये जाते हैं। आप को पूरे उद्देश्य के बारे में, अर्थात् भारत को एक बड़े पैमाने के उद्यम अथवा सरकारी उद्यम के तौर पर, बनाने के कार्य के बारे में सोचना है। भारत में कुछ लोग बुरे, स्वार्थी और भ्रष्ट हो सकते हैं। किन्तु आप को ऐसा वातावरण उत्पन्न करना है जिस से अधिक से अधिक

लोग अपने तरीके से मदद करें। सीमा विभाजन करने वाली रेखा को बदलने के विषय में हमें सदा सावधान रहना होगा क्योंकि सरकारी क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है और उस के अन्तर्गत कोई भी चीज आ सकती है। मैं सरकारी क्षेत्र को कहीं भी बिल्कुल सीमित नहीं करना चाहता हूँ। जो कुछ हम ले सकते हैं, ले लेते हैं। किन्तु राज्य के साधान सीमित हैं, जो कुछ मैं स्वयं नहीं कर सकता हूँ उस के दूसरों के द्वारा किये जाने में रुकावट डालने से कोई लाभ नहीं है। क्योंकि उस प्रकार जो कुछ किया जा सकेगा उस से हम अन्यथा वंचित रहेंगे।

वित्त मंत्री इसे व्यवहारिक दृष्टिकोण कहते हैं। वह व्यवहारिक इस अर्थ में है कि उस दृष्टिकोण के अन्तर्गत हम एक निश्चित दिशा की ओर देखते, हैं हमारे समक्ष निश्चित उद्देश्य होते हैं कुछ निश्चित कल्पनाएँ होती हैं और हम किसी हद तक बराबर परिवर्तन कर सकते हैं।

१९४८ के औद्योगिक नीति सम्बन्धी विवरण का हवाला दिया गया है। श्री अशोक मेहता ने उस का हवाला देते हुए कहा है कि वह दीमक खाया हुआ है। मेरी समझ में नहीं आया कि उन का इस से तात्पर्य क्या है। मैं समझता हूँ कि आधार रूप से यह विवरण बहुत अच्छा है। हमारे वर्तमान दृष्टिकोण से इस में कोई दोष भी नहीं है।

हो सकता है कि आगामी कुछ महीनों में हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर विचार करना पड़े, जिस में उद्योग पर बहुत जोर दिया गया है। उस में हमें सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक जोर देना होगा यद्यपि निजी क्षेत्र के लिये भी उस में स्थान रहेगा। विचार यह है कि वाद-विवाद के लिये पहले योजना का एक प्राकृतिक तैय्यार किया जाये जिस पर संसद के भीतर तथा बाहर देश में कुछ

महीने अच्छी तरह वाद-विवाद होने के बाद उस को अन्तिम रूप दिया जाये ।

श्री गाडगील (पुना मध्य) : ६ अप्रैल, १९४८ को औद्योगिक नीति का प्रतिपादन किया गया था । उस समय से आज तक हम ने कितनी ही टिप्पणियां तथा बयान सुने हैं । अभी हम ने वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री के भाषण भी सुने । एक परिणाम जो सब से निकलता है यह है कि हम अब भी उसी नीति पर दृढ़ हैं जिस का प्रतिपादन १९४८ में किया गया था । उस का वास्तविक आशय अनेक प्रकार के निर्वचनों का विषय रहा है । माननीय प्रधान मंत्री ने कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने बोलते हुए बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इस देश का उद्देश्य निश्चय रूप से समाजवाद की स्थापना करना है । उन्होंने यह भी कहा है कि इस की प्रक्रिया क्रमिक होगी तथा इस के लिये जनतन्त्रात्मक तरीकों का उपयोग किया जायेगा । जहां तक मैं समझता हूं जनतन्त्रात्मक समाजवाद का रूप समाजवादी होता है और उस का विषय अधिकतन्त्रवादी होता है । इन बातों से मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं तो केवल यह देखना चाहता हूं कि इस महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिये अग्त सात वर्षों में क्या उपाय किये जायें हैं।

इस संबंध में दो बातें हमारे सामने प्रमुख रूप से आती हैं । एक तो यह है कि इन सात वर्षों में पूँजीपति वर्ग तथा अन्निक वर्ग को प्रत्येक संभव छूट दी गई है । प्रत्यक्ष करारोपण में भारी कमी की गई है । दूसरी बात यह है कि पिछले तीन वर्षों में ही अप्रत्यक्ष करारोपण में ५० करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है । मैं जानता हूँ कि यह हमारा देश है । उस की उन्नति में सभी का हित है । इसलिये सभी को इस कार्य में योग देना चाहिये । गरीबों को भी त्याग

करना चाहिये । परन्तु त्याग के मामले में समता का होना बहुत आवश्यक है । जमींदारी उन्मूलन किया जा रहा है और जो कुछ शेष है उस का उन्मूलन भी काश्त की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दिये जाने पर किया जायेगा । परन्तु क्या वाणिज्यिक तथा औद्योगिक संसार के लिये भी कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है ? इस के स्थान पर लाभांश परिसीमन अधिनियम तथा पूँजी अधिमूल्यन अधिनियम भी निरसित कर दिये गये हैं, अधिलाभकर रद्द कर दिया गया है तथा अधिक आय वालों को आयकर में छूट दी गई है । राष्ट्रीयकरण का निर्वचन करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा है कि हम अपने वर्तमान संसाधनों का उपयोग नये उद्योग स्थापित करने के लिये करना चाहते हैं तथा सरकार पुराने उद्योगों की टूटी फूटी तथा घिसी पिटी मशीनों को क्रय करने में धन नष्ट नहीं करना चाहती है । परन्तु इस नीति के शब्दों में धीरे धीरे सरकार की वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, बीमा तथा बैंकिंग उद्योगों को अपने अधिकार में ले लेना चाहिये । मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के सम्बन्ध में आप की एक योजना है उसी प्रकार १९४८ में प्रतिपादित नीति के शब्दों में औद्योगिक क्षेत्र के अन्य भागों के सम्बन्ध में आप की योजना क्या है । १९४८ के प्रस्ताव में तीन क्षेत्रों की बात कही गई थी एक तो वह जिस का नियंत्रण तथा स्वामित्व दोनों केवल सरकार के हाथ में होगा उस क्षेत्र के वर्तमान उद्योगों को सरकार अपने अधिकार में ले लेगी, दूसरा भाग वह जिस को सरकार अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करेगी, और तीसरा भाग वह जो गैर सरकारी उपकरणों के स्वतन्त्र व्यवहार के लिये छोड़ दिया जायेगा । यदि आप २० वर्ष तक इन उद्योगों में हाथ नहीं लगायेंगे तो न केवल कुछ लोगों के हाथ में धन एकत्रित होता